BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR

BIHAR UNIVERSITY, MUZAFFARPUR

PIN-842001 (BIHAR)

Website:-www.brabu.net

Ref:..... **Date:.....**

PRINT MEDIA COVERAGE ON B.R.A.BIHAR UNIVERSITY NEWS COMPILED BY MEDIA CELL (19.06.2025)

HINDUSTAN, MUZAFFARPUR
DATE:19.06.2025, PAGE-01

बीआरएबीयू के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक बदले

मुजफ्फरपुर। बीआरएबीयू के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक बदल गये हैं। राजभवन ने बुधवार शाम इसकी अधिसूचना जारी कर दी। नालंदा विवि के रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा को बीआरएबीयू का नया रजिस्ट्रार बनाया गया है। बीआरएबीयू के पीजी केमेस्ट्री विभाग के प्रो. रामकुमार परीक्षा नियंत्रक बनाये गये हैं। नये रजिस्ट्रार पटना विवि में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रशासनिक कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए काम करेंगे। नये परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता छात्र हैं। बता दें कि निवर्तमान परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुबालाल पासवान ने कुलपति और प्रॉक्टर के खिलाफ एससी-एसटी थाने में लिखित शिकायत की थी। इस मामले में पुलिस ने भी विवि आकर छानबीन की थी।

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR

BIHAR UNIVERSITY, MUZAFFARPUR

PIN-842001 (BIHAR)

Website:-www.brabu.net

Ref:..... **Date:.....**

DAINIK JAGRAN, MUZAFFARPUR
DATE:19.06.2025, PAGE-01

बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार बदले

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर: राजभवन ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में नए रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति बुधवार को कर दी। राज्यपाल सचिवालय की ओर से विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार के रूप में पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर डा. समीर कुमार शर्मा और बीआरबीयू के पीजी रसायनशास्त्र विभाग के शिक्षक डा. राम कुमार को नए परीक्षा नियंत्रक नियुक्ति किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। राज्यपाल सचिवालय के प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कुलपति की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर कुलाधिपति ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की है। विश्वविद्यालय कैंपस में पिछले कुछ दिनों से लगातार अधिकारियों के बदलाव को लेकर चर्चा चल रही थी। इस पर राजभवन ने विराम लगाते हुए नए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। उल्लेखनीय है कि डा. समीर कुमार शर्मा इससे पहले नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे। नव नियुक्त परीक्षा नियंत्रक डा. राम कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सीमित संसाधनों के बीच सत्र को नियमित करना है।

बीआरएबीयू में डा. समीर कुमार शर्मा बने नए रजिस्ट्रार तो डा. राम कुमार को परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी दी गई है

डा. रामकुमार ● सौ. स्वयं

डा.समीर कुमार शर्मा ● सौ. स्वयं

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR

BIHAR UNIVERSITY, MUZAFFARPUR

PIN-842001 (BIHAR)

Website:-www.brabu.net

Ref:..... **Date:.....**

PRABHAT KHABAR, MUZAFFARPUR
DATE: 19.06.2025, PAGE-01

प्रो समीर रजिस्ट्रार व प्रो राम कुमार बने परीक्षा नियंत्रक

बिहार विवि

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

डॉ समीर कुमार शर्मा

डॉ रामकुमार

पटना विवि के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर और वर्तमान में नालंदा विवि के रजिस्ट्रार प्रो.समीर कुमार को बीआरए बिहार विवि का नया कुलसचिव नियुक्त किया गया है. वहीं बीआरएबीयू के ही रसायनशास्त्र विभाग में पदस्थापित प्रो रामकुमार को नया परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है. राजभवन की ओर से बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की गयी है. राजभवन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नवनियुक्त कुलसचिव प्रो समीर कुमार की नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष या सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल तक के लिए की गई है. परीक्षा नियंत्रक प्रो रामकुमार की नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए की गयी है. विश्वविद्यालय की ओर से भेजे गए पैनल के आधार पर उनकी नियुक्ति की गयी है. दोनों पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही विवि के गलियारे में बीते एक सप्ताह से लगाए जा रहे अटकलों पर विराम लग गया. छात्रों की परेशानी दूर करना पहली प्राथमिकता नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक प्रो रामकुमार ने कहा कि वह गुरुवार को विवि में योगदान देंगे. उन्होंने कहा कि परीक्षाएं समय से हों और उसका परिणाम जल्दी आए. छात्र डिग्री या अन्य प्रमाणपत्र के लिए चक्कर नहीं लगाएं. इन समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. कहा कि आइटी टूल्स का प्रयोग कर पेंडिंग की समस्या को समाप्त करने की दिशा में भी पहल करेंगे.

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR

BIHAR UNIVERSITY, MUZAFFARPUR

PIN-842001 (BIHAR)

Website:-www.brabu.net

Ref:..... **Date:.....**

PRABHAT KHABAR, MUZAFFARPUR
DATE: 19.06.2025, PAGE-04

डिग्री के लिए दोबारा नहीं देना होगा शुल्क

मुजफ्फरपुर. बीआरएबीयू के पीजी विभाग व कॉलेजों के छात्रों को डिग्री के लिए दोबारा आवेदन नहीं करना होगा. विवि से आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के समय डिग्री का भी शुल्क लिया जा रहा है. ऐसे में इन छात्रों को इसी शुल्क के आधार पर डिग्री दी जायेगी.ऐसे में अब डिग्री के लिए आवेदन करते समय विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क की रसीद व एडमिट कार्ड के साथ आवेदन को विभागाध्यक्ष या प्राचार्य से फॉरवर्ड कराकर विवि में काउंटर पर जमा करना होगा. इसके सत्यापन के बाद डिग्री कॉलेज या विवि को भेज दी जायेगी.

DAINIK BHASKAR, MUZAFFARPUR, DATE: 19.06.2025, PAGE-02

पीजी डिग्री के लिए दोबारा नहीं जमा करना होगा शुल्क, साक्ष्य के साथ करें आवेदन

सीबीसीएस लागू होने के बाद चौथे सेमेस्टर में लिया जाता है डिग्री का शुल्क, रसीद सहित अन्य डॉक्युमेंट्स के साथ विभाग से आवेदन फॉरवर्ड कराना होगा

एजुकेशनरिपोर्टर | मुजफ्फरपुर

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीजी के छात्रों को डिग्री के लिए आवेदन करते समय दोबारा शुल्क जमा नहीं करना होगा। सत्र 2018-28 से पीजी में सीबीसीएस यानी च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू है। इसी सत्र से चौथे सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने के समय ही परीक्षा शुल्क के साथ 400 रुपए डिग्री का शुल्क भी जमा करा लिया जाता है। ऐसे में डिग्री के लिए आवेदन करते समय विद्यार्थी को शुल्क की रसीद व एडमिट कार्ड लगाकर विभागाध्यक्ष से फॉरवर्ड करा विश्वविद्यालय काउंटर पर जमा करना होगा। इसके बाद संबंधित सेक्शन से टीआर सहित

वेरिफिकेशन के बाद डिग्री बनाकर संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा। डिप्टी कंट्रोलर डॉ. रेणुबाला ने बताया कि विभागों की जो राशि जमा होती है, वह विश्वविद्यालय का अकाउंट है। इसमें आसानी से पता लग जाता है कि शुल्क जमा हुआ है या नहीं। विद्यार्थी संबंधित विभागाध्यक्ष से फॉरवर्ड करा आवेदन जमा करेंगे, तो उनकी डिग्री बनाकर भेज दी जाएगी।

कॉलेजों के विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड सेक्शन से कराना होगा वेरिफाई

विश्वविद्यालय की ओर से अभी यह सुविधा पीजी विभाग के विद्यार्थियों को दी जा रही है। कॉलेजों के विद्यार्थियों को परीक्षा विभाग के एडमिट कार्ड सेक्शन से भी आवेदन वेरिफाई कराना होगा। दरअसल, बीते दिनों कई कॉलेजों में परीक्षा शुल्क घोटाले का मामला सामने आ चुका है। स्नातक की कई परीक्षाओं का परिणाम जारी हो गया, लेकिन कॉलेजों ने शुल्क जमा ही नहीं किया। ऐसे में विश्वविद्यालय स्तर पर कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। डिप्टी कंट्रोलर ने बताया कि कॉलेजों के विद्यार्थियों को अपना आवेदन कॉलेज के साथ ही एडमिट कार्ड सेक्शन से भी वेरिफाई कराना होगा।

जरूरतमंद विद्यार्थी देने को थे विवश : चार वर्षों से डिग्री के लिए दो बार ली जा रही थी फीस, सीनेट में उठा मामला

विवि में सत्र 2018-20 से पीजी में सीबीसीएस के साथ सेमेस्टर सिस्टम लागू है। यानी, पहला बैच 2020 में निकला। इसमें राजभवन से फी स्ट्रक्चर भी निर्धारित है। विश्वविद्यालय की ओर से भी पहले से चौथे सेमेस्टर तक के लिए फी स्ट्रक्चर को लेकर विभागों व संबंधित कॉलेजों को निर्देश दिया गया है। इसके तहत चौथे सेमेस्टर में परीक्षा शुल्क के साथ ही डिग्री का शुल्क भी जमा कराया जाता है। हालांकि, डिग्री के लिए आनेवाले विद्यार्थियों को आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क 400 रुपए जमा करने के लिए कहा जाता था। विद्यार्थी इसका विरोध भी करते। लेकिन, डिग्री की जरूरत होने के कारण अधिकतर विद्यार्थी किसी पचड़े में पड़ने की बजाय शुल्क जमा कर देते। यह मामला इस साल सीनेट की बैठक में भी उठा। इसके बाद तय किया गया कि डिग्री का शुल्क जमा होने का साक्ष्य लेकर डिग्री दी जाए।

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR

BIHAR UNIVERSITY, MUZAFFARPUR

PIN-842001 (BIHAR)

Website:-www.brabu.net

Ref:..... **Date:.....**

DAINIK BHASKAR, MUZAFFARPUR
DATE: 19.06.2025, PAGE-01

बीआरएबीयू : डॉ. समीर बने रजिस्ट्रार और डॉ. राम कुमार परीक्षा नियंत्रक

रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक बदले गए राजभवन के आदेशों की अनदेखी के आरोप

एजुकेशन रिपोर्टर | मुजफ्फरपुर

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में कई दिनों से चल रही बड़े बदलाव की अटकलों पर बुधवार को विराम लग गया। निवर्तमान रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक की जगह राजभवन ने नई नियुक्ति कर दी। दोनों पर राजभवन के आदेशों की अनदेखी के गंभीर आरोप थे। राजभवन ने डॉ. समीर कुमार शर्मा को रजिस्ट्रार और डॉ. राम कुमार को परीक्षा नियंत्रक नियुक्त करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। डॉ. समीर पटना यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं।

डॉ. समीर कुमार

डॉ. राम कुमार

वहीं, डॉ. राम कुमार बीआरएबीयू के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं।

नए रजिस्ट्रार डॉ. समीर कुमार की नियुक्ति अधिकतम 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र 65 साल तक के लिए की गई है। वैसे तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन एक वजह कॉमन है। निवर्तमान रजिस्ट्रार डॉ. संजय कुमार और परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुबालाल पासवान पर राजभवन के आदेश की अनदेखी का गंभीर आरोप भी हैं।